शीर्ष प्राथमिकता

सं0– 126 /33–1–2026

प्रेषक,

राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक/ मिशन निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(3) मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ ।
(4) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पंचायती राज अनुभाग– 1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2026

विषय– मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह (02 से 08 अप्रैल 2026) के आयोजन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, कार्मिक अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–235(2)/47–का–3–2026, दिनांक 20 मार्च, 2026 के साथ संलग्न अध्यक्ष, क्षमता विकास आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशा०पत्र संख्या–10–10/2024–CBC, दिनांक 16 मार्च, 2026 (मय संलग्नक छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि "मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" (02 से 08 अप्रैल, 2026) के आयोजन के संबंध में है।

2– अवगत कराना है कि क्षमता विकास आयोग, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता–निर्माण सुधारों को गति देने के लिए वर्ष 2024 से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ CBC की भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए, SADHANA सप्ताह का 2026 संस्करण राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया है। इस सप्ताह (2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक) के दौरान विषयगत मामले में सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

1. **परिणामोन्मुख दृष्टिकोण (Outcome Driven Approach)**
   - प्रत्येक जिला/विकास खंड स्तर पर 2–3 मापनीय परिणाम (Measurable Outcomes) निर्धारित किए जाएं, जैसे-सेवा वितरण समय में कमी शिकायत निस्तारण की समयबद्धता योजनाओं के लाभार्थियों की संतुष्टि सभी परिणामों की डैशबोर्ड आधारित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
2. **संस्थागत व्यवस्था एवं उत्तरदायित्व**
   - विभाग स्तर पर 4–5 अधिकारियों का साधना सप्ताह कार्य समूह गठित किया जाए।
   - राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।
   - जिला पंचायत राज अधिकारी इस संपूर्ण अभियान के मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी होंगे।
3. **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (iGOT अनुपालन)**
   - प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 04 घंटे का प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में भूमिका अनुरूप शिक्षा (Role Aligned Learning) को प्राथमिकता दी जाए।
   - प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा कम से कम 01 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाए।
   - iGOT पोर्टल पर शत–प्रतिशत नामांकन एवं पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
   - निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को सक्रिय करते हुए मिशन मोड में प्रशिक्षण संचालित किया जाए।

4. **विषयगत क्रियान्वयन (तीन स्तंभों पर आधारित)**

(क) प्रौद्योगिकी (AI & Digital)

- पंचायत कार्यों में AI, GIS एवं डेटा विश्लेषण का उपयोग बढ़ाया जाए।
- ई–पंचायत एवं अन्य डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सेवा वितरण को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए।

(ख) परंपरा

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं सामुदायिक सहभागिता को शासन प्रक्रिया में समाहित किया जाए।
- ग्राम स्तर पर सफल पारंपरिक मॉडलों का दस्तावेजीकरण एवं प्रसार किया जाए।

(ग) मापनीय परिणाम

- प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट परिणाम (Outcome) से जोड़ा जाए।
- नागरिकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव (Citizen Impact) को प्राथमिकता दी जाए।

5. **कार्यक्रम आयोजन एवं सहभागिता**

- दिनांक 02 से 08 अप्रैल, 2026 तक प्रतिदिन वेबिनार, सामूहिक चर्चा, पैनल चर्चा आयोजित की जाए।
- जिला एवं विकास खंड स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- सभी गतिविधियों का विवरण एवं प्रमाण iGOT पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

6. **अंतिम छोर तक सेवा प्रदाए (Last Mile Delivery)**

- ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं अन्य कार्मिकों हेतु विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं।
- वास्तविक समस्याओं एवं उनके व्यावहारिक समाधान पर केंद्रित चर्चा की जाए।
- सेवा वितरण के अंतिम छोर तक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

7. **प्रशासनिक सुधार एवं डेटा शुद्धीकरण**

- विभागीय अभिलेखों का डेटा शुद्धीकरण (Data Cleaning) किया जाए।
- iGOT के निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को सक्रिय कर डिजिटल अनुशासन सुनिश्चित किया जाए।

8. **उत्कृष्टता एवं प्रोत्साहन**

- अधिकतम कार्मिकों को AI दक्ष (AI Daksh) बैज एवं कर्मयोगी उत्कर्ष बैज प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों/कार्मिकों की पहचान कर प्रोत्साहित किया जाए।

9. **निगरानी एवं प्रतिवेदन**

- प्रतिदिन की प्रगति का प्रतिवेदन UPAAM को प्रेषित किया जाए।
- प्रत्येक स्तर पर दैनिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
- समापन दिवस पर उपलब्धियां, प्रमुख सीख एवं आगामी कार्ययोजना (Way Forward) प्रस्तुत की जाए।

10. **अपेक्षित प्रभाव (Impact Statement)**

- ग्राम स्तर पर पारदर्शी, त्वरित एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना नागरिकों के जीवन में प्रत्यक्ष एवं मापनीय सुधार डेटा आधारित निर्णय एवं सुशासन की संस्कृति का सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए अपने–अपने संस्था/क्षेत्र में समकालीन शासकीय

चुनौतियों और संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं पर संस्थावार "सामूहिक चर्चा" / वेबिनार/पैनल चर्चाओं का आयोजन किया जाए।

3– पंचायतीराज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले प्रशिक्षण संस्थानों (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान सहित) को निर्देशित किया जाता है कि वे मिशन कर्मयोगी के अनुरूप समर्पितक्षमता–निर्माण गतिविधियाँ आयोजित करें; जिनमें विषय–विशेष कार्यशालाएँ, "भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ" (Indian Knowledge Systems) सत्र और मिश्रित शिक्षा (blended learning) कार्यक्रम शामिल हो।

4– इस सप्ताह के दौरान गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए CBC के साथ समन्वय हेतु एक नोडल विभाग/संस्थान नामित किया जाए। इसके अतिरिक्त 02 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित होने वाले उद्घाटन सत्र और "क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन" (National Conclave on Capacity Building) में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया है, जो SADHANA सप्ताह के शुभारंभ का प्रतीक होगा। तदुसार उक्त कार्य हेतु निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेशलखनऊ द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ को नामित किया जाए।

5– इस संयुक्त प्रयास में प्रदेश का सहयोग करने के लिए CBC और "कर्मयोगी भारत" की ओर से प्रदेश के लिए एक सहायता टीम (support team) नियुक्त की गई है। जानकारी और सुलभ संदर्भ के लिए SADHANA सप्ताह का एक संभावित एजेंडा, प्रस्तावित शुभारंभ कार्यक्रम और विषयगत रूपरेखा (thematic framework) पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

6– पंचायती राज विभाग की संस्थाओं द्वारा इस दिशा में की गयी कार्यवाही इस राष्ट्रव्यापी पहल को सफल बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगी। इस सप्ताह पंचायती राज विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 16.03.2026 में की गयी अपेक्षा एवं उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

सं0–126 (1)/33–1–2026–तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव।

D///BGo2026